संख्या-191/2018/113/22-2-2018-17(267)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक फरवरी, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरबत हुसैन पुत्र श्री मोहब्बे अली, निवासी जनपद-रामपुर की इनफरमिटी रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1116/प्रोबेशन-6(19)/ई0रो0/2017 दिनांक-10-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सरबत हुसैन पुत्र श्री मोहब्बे अली, निवासी-ग्राम-कसिया कुंडा(पसियापुरा), थाना-टांडा, जनपद-रामपुर का रहने वाला है। दिनांक 12-12-1996 को अभियुक्त ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार व हसियें से 03 व्यक्ति, अकबर, रौनक अली व मो0 शर्फी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-275/1997 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर के आदेश दिनांक 04.09.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रिमिनल अपील संख्या 2859/2000 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2007 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अपनी संस्तुति में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। बन्दी के सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये अभिमत में बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर सरकार को स्वविवेक से निर्णय लेने का परामर्श दिया गया है। महानिरीक्षक, कारागार ने बन्दी की बीमारी एवं वृद्धावस्था के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-196 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सरबत हुसैन पुत्र श्री मोहब्बे अली को रिहा किये जाने की संस्तुति की है। बन्दी की इनफरमिटी रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर पाया गया कि सिद्धदोष बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है एवं 04 अन्य सहअभियुक्त अभी भी कारागार में निरूद्ध है। अतः समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सरबत हुसैन (बन्दी संख्या-35774) पुत्र श्री मोहब्बे अली, निवासी जनपद-रामपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-196 के अन्तर्गत इनफरमिटी रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-191/2018/113(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।